

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश

(सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

क्रमांक/7/अय/2020-21/1885


दिनांक 03/03/2021

:: संक्षिप्त निविदा संबंधी सूचना ::

आयुष विभाग अंतर्गत कोरोना योद्धाओं को प्रिंट (फ्रेम युक्त) प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जाना है। उक्त प्रिंट (फ्रेम युक्त) प्रशस्ति पत्र प्रिंट करवाए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों पर दिनांक 10.03.2021 तक इच्छुक संस्थाओं से दरें आमंत्रित की जाती हैं।

प्रशस्ति पत्र का नमूना मय प्रिंटिंग मैटर सहित संचालनालय आयुष म.प्र. में उपलब्ध है अतः संस्था के प्रतिनिधि संचालनालय में प्रस्तुत होकर उक्त नमूने का अवलोकन कर उपलब्ध नमूने अनुसार ही दरें एवं सैंपल प्रस्तुत करें :-

- 1- दरें प्रिंटेड लेटर पेड पर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें जिस पर जी.एस.टी. नम्बर अंकित होना चाहिए।
- 2- समस्त दरें, संचालनालय आयुष तथा विभाग के संभागीय कार्यालयों तक पहुंचाने के लिए दिए जावे जिसमें समस्त चार्जस जी.एस.टी. सहित सम्मिलित होंगे।
- 3- कोई भी दर निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग प्रमुख को होगा।
- 4- जिस कार्य की दरें मांगी गई हैं उसी की दरें ही भरे जावें अन्य कोई शर्त नहीं लिखी जावे।
- 5- दरों में काट-पीट या ओव्हर रायटिंग नहीं होना चाहिए।
- 6- दरें प्रस्तुत करते समय सील्ड सैंपल प्रस्तुत करना होगा, जिस पर फर्म का नाम लिखा होगा।
- 7- निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त दरों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 8- भुगतान के संबंध में कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
- 9- कोरोना योद्धा प्रशस्ति पत्र लगभग संख्या 7381 का प्रिंटिंग कार्य कितने दिवस में पूर्ण किया जावेगा उसका स्पष्ट उल्लेख करें।
- 10- प्रिंट करवाए जाने वाले प्रशस्ति पत्रों की संख्या परिवर्तनशील हो सकती है।
- 11- विक्रय मूल्य पर जी.एस.टी., शासन नियमानुसार देय होगा।
- 12- भुगतान के विलंब हेतु किसी प्रकार का ब्याज आदि देय नहीं होगा।
- 13- अंकित सभी शर्तों का अनुपालन एवं अभिलेखों की प्रमाणिकता के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
- 14- किसी भी विवाद की दशा में विभाग प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।



(डॉ. वन्दना बोराना)

सहायक संचालक
संचालनालय आयुष, म.प्र.